कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी रामपुर।

पत्रांक: प–8 / सीएफओ–मेंहदीनगर–पेट्रोल पम्प–रामपुर

दिनाँक: जून 01 ,2017

सेवा में,

जिलाधिकारी

रामपुर।

विषय: ग्राम–मेंहदीनगर तहसील स्वार जिला रामपुर के स्वार–बिलासपुर रोड़ खसरा संख्या–132 पर हिन्दुस्तान प्रट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 के प्रस्तवित रिटेल आउटलेट स्थापना हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: <u>आपका पत्रांक: 280 / जे0ए0–2 तद् दिनाँक 17.05.2017 एवं शासनादेश संख्या: 2464 / छ:– पु0–8–2005 दिनाँक: 09, दिसम्बर 2005।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक / सन्दर्भित अपने पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना सम्बन्धी आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त प्रस्तावित स्थल का अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण उपलब्ध करायें गये मानचित्रों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

1–प्रश्नगत स्थल के सामने रोड़ की चौडाई मानक के अनुसार है।

2–प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई भी विद्युत हाईटेंशन लाईन नही गुजर रही है।

अतः प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु पैट्रोलियम एक्ट–1934 तथा उसके रूल्स के अनुसार अग्नि से सुरक्षा के सम्बन्धी प्राविधान किए जाने अनिवार्य होगें जो निम्नवत है:–

1–45 लीटर क्षमता की 02 अदद मैकेनिकल फोम ट्राली ।

2–ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा0 के 04 अदद स्थापित कराये जायें।

3–नो स्मोकिंग बोर्ड एव आपात कालीन टेलीफोन नम्बरों की सूची स्थापित करायी जायें।

4–05–05 अदद स्टेण्ड फायर बकेट एवं वाटर बकैट स्थापित कराये जायें।

अतः प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के निर्माण कार्य के लिए आख्या निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत की जाती है।

1–प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के सभी निर्माण कार्य पैट्रोलियम एक्ट–1934 एवं सम्बन्धित पैट्रोलियम रूल्स विषयक समय–समय पर यथा संषोधित विधियों एवं सत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित विधि के अनरूप।

2–प्रस्तावित स्थल के ऊपर से किसी प्रकार की हाई / लो टेन्श्न विद्युत लाइन नही गुजारी जायेगी।

3–प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्षाये गये पैट्रोल पदार्थो के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील भण्डारण नही किया जायेगा।

4–प्रस्तावित स्थल पर पैट्रोल पम्प स्थापित कराने के दौरान धूम्रपान निषेध बोर्ड, अग्निशमन केन्द्र का टेलीफोन नम्बर व अग्निशमन संकेतक अंकित कराये जायेगें।

5–डीजल भण्डारण हेतु पैट्रोल पम्प के निर्माण के उपरान्त स्थल पर चिंगारी इत्यादि उत्पन्न करने वाले पदार्थो का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसमें समुचित उपाय किए जायेगें।

6–प्रस्तावित पैट्रोल पम्प पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था इण्यिन इलैक्टिसिटी एक्ट एवं भारतीय मानक ब्यूरों के आई0एस–1646–1982 व आई0एस0–2148 तथा सम्बन्धित नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार कराई जानी अनिवार्य होगी।

7–प्रस्तावित पैट्रोल पम्प निर्मित किए जाने तथा उपरोक्तानुसार प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं की स्थापना किए जाने के उपरान्त प्रस्तावित पैट्रोल पम्प आरम्भ करने से पूर्व स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण / <u>परीक्षण</u> अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम आख्या प्राप्त करानी होगी।

अतः उपरोक्त शर्तो के अधीन हिदुस्तान पैट्रोलियम कारर्पोशन लि0 के प्रस्तावित रिटेल आटलेट स्थापना हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी आख्या निर्गत की जाती है, अन्यथा की स्थिति में निर्गत की जा रही है आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

01/6/17

(रेहान अली)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

रामपुर।

एस. के सिन्हा
S. K. Sinha
विधिवत गठित न्यायवादी
Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
रामपुर